कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांकः– 1331 /FP/UK/ROAD/39084/2019 दिनॉकःदेहरादून 02,12, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
ऊखीमठ।

विषय– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/39084/2019)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4773/13सी0 दिनांक 26–11–2019

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का परीक्षण करने पर कतिपय कमियॉ पायी गयी गई हैं :–

1. प्रस्ताव में वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2006 की संलग्न है। उक्त स्वीकृति वर्तमान में मान्य होने का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. पूर्व स्वीकृत मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति संलग्न करें, एवं तदनुसार मानचित्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
3. जियो–रेफिरेन्स मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण को भी दर्शाया जाय।
4. प्रस्ताव की समरेखण आख्या में प्रस्तावित मार्ग पूर्व में स्वीकृत किस मार्ग से प्रारम्भ होता है, उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट सूचना का उल्लेख करें।
5. तुल्नात्मक विवरण में समरेखण–2 में सूचना रिक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकल्पिक समरेखण पर विचार ही नहीं किया गया है, यदि हॉ तो पूर्ण सूचना भरी जाय।
6. प्रस्ताव में बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न की जाय।
7. प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित है, परन्तु राष्ट्रीय पार्क प्रमाण–पत्र में परियोजना किस राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित है का उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
8. एन0बी0डब्ल्यू0एल0 की संस्तुति के अनुसार प्रस्ताव में मिटीगेशन प्लान एवं अन्य सूचनायें संलग्न की जाय।
9. प्रस्ताव में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की संस्तुति/आख्या भी संलग्न करें।
10. वन अधिकार अधिनियम, 2006 में एसडीएलसी की बैठक के क्रम संख्या–4 पर सम्बन्धित क्षे0पं0/वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं ग्राम पंचायत, तोषी के उपस्थिति के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
11. क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्तमान दर से एवं उपयुक्तता प्रमाण–पत्र मूल में संलग्न करें।
12. क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में सी0ए0 स्थल का नाम क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाय।
13. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्ताव में ऑनलाईन लगाई गयी कमियों का भी निराकरण किया जाय।

अतः उपरोक्त कमियों के निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं प्रस्ताव में ऑनलाईन एवं आफलाईन सूचना पूर्ण कर पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलबध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्याः– /FP/UK/ROAD/39084/2019 दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक